राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.7(11)गृह–12/कारा/2012 पार्ट–1 जयपुर,दिनांक 28.03.2021

॥ आदेश ॥

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सं. 02) की धारा 432 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ऐसे बंदियों को जो राज्य के अपराधिक, अधिकारिता के न्यायालयों द्वारा सिद्ध दोष ठहराये गये है और, जो इस राज्य की या अन्य राज्यों की जेलों में सजा भुगत रहे है, को 30 मार्च, 2021 राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक उनकी शेष सजा को माफ करते हुए समयपूर्व रिहा करने एवं राज्य परिहार दिये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1 ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है, जिन्हे स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है तथा ऐसे बंदियों ने 14 वर्ष की सजा एवं 2 वर्ष 06 माह का परिहार अर्जित कर लिया है, की शेष सजा माफ कर समयपूर्व रिहा कर दिया जावे। जुर्माना राशि जमा करानी होगी व जुर्माना सजा माफ नहीं की जावेगी।

2. ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा से दण्डित नहीं बल्कि विभिन्न अवधि की सजा से दण्डित है जिन्होंने उन्हें दी गई सजा का 2/3 भाग मय विचाराधीन अवधि एवं परिहार के सजा भुगत ली है एवं सजा भुगतने के दौरान पिछले 2 वर्ष में जेल में संतोषप्रद आचरण रहा है तथा इस अवधि में किसी प्रकार के जेल दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है, की शेष सजा माफ कर समयपूर्व रिहा कर दिया जावें। जुर्माना राशि जमा करानी होगी व जुर्माना सजा माफ नहीं की जावेगी।

3. ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा से दण्डित नहीं है बल्कि विभिन्न अवधि की सजा से दण्डित है जो (ए) घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स एवं छूत की बीमारी यथा कोढ से पीड़ित हो एवं इनकी ऐसी बीमारी दूसरे बंदियों में फैलने का खतरा हो एवं (बी) पूरी तरह से अंधे अथवा विकलांग वे बंदी जो अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो की शेष सजा माफ कर समयपूर्व रिहा कर दिया जावे। अन्धे लाचार असाध्य रोगी ऐसे बंदियों को माना जावे जिनके लिये मेडिकेल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो।

4. ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा से दण्डित नहीं है बल्कि विभिन्न अवधि की सजा से दण्डित है जो 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पुरूष बंदी एवं 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी महिला बंदी जिन्हें एक मात्र प्रथम अपराध में ही दण्डित किया गया हो तथा इन्हें जेल में रखने में कोई जनहित निहित नहीं हो, उन्हें दी गई सजा का 1/3 भाग सजा मय विचाराधीन अवधि में परिहार भुगत लिया हो की शेष सजा माफ कर समयपूर्व रिहा कर दिया जावे। आयु की गणना उनके कोर्ट के रिकार्ड के आधार पर ही की जावे। यदि किसी बंदी की आयु के संबंध में कोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की शंका हो तो उस संबंध में मेडिकल बोर्ड की राय प्राप्त की जावे।

Office Address- Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan- 302005 Telepohe No. 0141-2385590 E- mail id- dshomejail@gmail.com

Scanned by CamScanner

5. ऐसे बंदी जो प्रतिबंधित धाराओं में दण्डित है, चाहे उन्हे स्थाई पैरोल स्वीकृत कर दिया गया हो एवं ऐसे बंदियों द्वारा 14 वर्ष की सजा भुगत ली हो तथा 2 वर्ष 06 माह का परिहार भी अर्जित कर लिया गया हो, ऐसे बंदियों की शेष सजा माफ कर समयपूर्व रिहा नहीं किया जावे।

राजस्थान के अपराधिक, अधिकारिता के न्यायालयों द्वारा दण्डित बंदियों को निम्नानुसार राज्य परिहार दिया जाता है :–

क्र.सं.	बंदियों की श्रेणी	राज्य परिहार की अवधि	विशेष विवरण
1.	आजीवन कारावासी एवं 10 वर्ष से अधिक दण्डादिष्ट बंदी	6 माह	उक्त परिहार ऐसे बंदियों को देय नहीं होगा, जिन्हें पिछले 2 वर्षों में जेल दण्ड से दण्डित किया हो।
2.	पांच वर्ष एवं उससे अधिक एवं दस वर्ष तक दण्ड़ादिष्ट बंदी	4 माह	
3.	दो वर्ष एवं उससे अधिक एवं पांच वर्ष तक दण्डादिष्ट बंदी	2 माह	
4.	दो वर्ष से कम दण्डादिष्ट बंदी	1 माह	

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अपराधों से संबंधित सभी श्रेणी के बंदियों को समयपूर्व रिहा नही किया जावेगा एवं राज्य परिहार भी नहीं दिया जावेगा :–

1. (क) जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 सं. 25) के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का अन्वेषण सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया हो।
   (ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पति का दुर्विनियोजन या नाश या नुकसान अर्न्तवलित हो।
   (ग) जिसे केन्द्रीय सरकार की सेवा में से किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया हो जबकि वह अपने पक्षीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसके द्वारा ऐसा कार्य करना तात्पर्यीय था, के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

2. वे बंदी –
   (क) जिन्हें न्यायालय द्वारा अभ्यस्त अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।
   (ख) जिन्हें किसी मंजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति देने के लिए आदेश किये गये हो और जो ऐसी प्रतिभूति (जमानत) न देने की वजह से कारावास भुगत रहे हों।
   (ग) जिन्हे साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो।
   (घ) जो जुर्माने का भुगतान नही करने के कारण दण्डादेश भुगत रहे हो।

Office Address- Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan- 302005 Telepohe No. 0141-2385590 E- mail id- dshomejail@gmail.com

Scanned by CamScanner

3. वे बंदी जो निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराये गये हों

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
2. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952
4. खाद्य अपमिश्रण निर्धारण अधिनियम, 1954 एवं 2006
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
6. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
8. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
9. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
10. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974
11. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
12. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैद्य व्यापार निवारण अधिनियम, 1988
13. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
14. भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 120बी, 224, 304–ख, 376, 376 (क,ख,ग,घ), 377, 395, 498–क 466, 468, 469, 471 से 474, 366, 366–ए, 366–बी, 372, 373, 489ए, 489 बी, 489 सी।
15. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
16. आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1987
17. विध्वंशकारी निवारण अधिनियम, 2002
18. महिलाओं के शील भंग करने के लिए बलप्रयोग के अपराधों में दंडित बंदी।
19. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम ।
20. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सैक्सुअल ऑफेसेज एक्ट, 2012
21. राजपासा में निरूद्ध बंदी
22. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट
23. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
24. राजस्थान गो–वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995
25. मोब लिचिंग (Mob-lynching) अधिनियम, 2019।
26. तेजाब (Acid attack) हमले से संबंधित अपराध ।
27. आर्म्स एक्ट से संबंधित अपराध।
28. जाली मुद्रा से संबंधित अपराध।

Office Address- Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan- 302005 Telepohe No. 0141-2385590 E- mail id- dshomejail@gmail.com

Scanned by CamScanner

4. जुर्माने की सजा भुगतने के एवज में राज्य परिहार का लाभ भी देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान,जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Office Address- Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan- 302005 Telepohe No. 0141-2385590 E- mail id- dshomejail@gmail.com

Scanned by CamScanner